Lalita Kumari v. The Presiding Officer & Another
(N.K. Sodhi, J)

प्रत्यर्थी से उचित सूचना के बावजूद समझौते का उसका हिस्सा। इसके अलावा अदालतों ने यह भी पाया है कि प्रतिवादी हमेशा समझौते के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने के लिए तैयार और इच्छुक था। अदालतों के समक्ष मुकदमेबाजी को अपीलार्थी द्वारा बिना किसी फलदायी परिणाम के इतने समय तक बढ़ाया गया है। इन परिस्थितियों में मैं अपीलार्थी के पक्ष में कोई समानता नहीं देख पा रहा हूं और एस. रंगाराजू नायडू बनाम तिरुवरक्करासु *(उपर्युक्त)* के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा करना गलत है। न तो कोई तथ्य और परिस्थितियां अभिलेख पर लाई गई हैं और न ही यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी का मामला धारा *20* की उपधारा *(2)* के उपखंड *(ए)* से *(सी)* के तहत उत्कीर्ण किसी भी अपवाद के तहत शामिल था। अपीलार्थी को कोई अनुचित नुकसान नहीं हुआ है। अपीलार्थी को ऐसी कोई कठिनाई नहीं हुई है जो उसकी ओर से गैर-निष्पादन को उचित ठहराए। अपीलार्थी को किसी भी असमान स्थिति में नहीं रखा गया है। समानताओं को करना होगा संतुलित रहें। यह तभी होता है जब एक पक्ष को पूरी तरह से असमान और अन्यायपूर्ण और अनुचित लाभ दिया जाता है कि अदालत को ऐसे कारकों पर विचार करना पड़ता है। अपीलार्थी का आचरण निश्चित रूप से किसी विशेष इक्विटी का दावा करने के योग्य नहीं है, जबकि प्रत्यर्थी का आचरण इक्विटी द्वारा क्षतिग्रस्त स्वीकृत मानक के अनुरूप रहा है और उसने सावधानीपूर्वक और जल्द से जल्द समय में अपना उपचार जारी रखा है, जबकि चीजों को उनके सामान्य पाठ्यक्रम में किया जाता है। कृष्ण सिंह का संदर्भ दिया गया है बनाम कृष्ण देवी, *(6)*.

(15) वनों के कारण, मुझे इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है और हालांकि, लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना इसे खारिज कर देता हूं।

एन. के. सोधी और एन. के. अग्रवाल, जे. जे.

ललिता कुमारी,-याचिकाकर्ता

बनाम

राष्ट्रपति अधिकारी और एक अन्य,-1997 का उत्तरदाता

सी.डब्ल्यू. पी. सं. 7041

18सितंबर, 1997

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद *226/227*-औद्योगिक विवाद अधिनियम, *1947 25-F &-25 FFF*-धारा *25-F* के गैर-अनुपालन के लिए बहाली का दावा-व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए काम करने वाला याचिकाकर्ता-उपक्रम को बंद करने के कारण समाप्त की गई सेवाएं-ऐसी समाप्ति छंटनी के बराबर नहीं है-*S.25-FFF* के प्रावधानों के तहत

भुगतान किया गया मुआव[1]जा-समाप्ति कानूनी और वैध।

अदालत ने कहा कि गया कि राज्य सरकार से *30%* सहायता प्राप्त करने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को राज्य सरकार से अनुदान बंद होने के कारण बंद कर दिया गया था, यह पक्षों का सामान्य मामला है कि पूरे केंद्र को बंद कर दिया गया है और उसमें कार्यरत सभी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र अपने आप में एक उपक्रम था जिला रेड क्रॉस सोसायटी की और जब इसे बंद कर दिया गया तो याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। उसका मामला पूरी तरह से अधिनियम की धारा *25*-एफ. एफ. एफ. के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। यह आवश्यक नहीं है कि धारा *25*-एफ. एफ. एफ. के प्रावधानों को आकर्षित करने से पहले जिला रेड क्रॉस सोसायटी की पूरी गतिविधि जिले में समाप्त हो गई हो। याचिकाकर्ता के तर्क का कुछ महत्व होता अगर केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक हिस्सा होता केंद्र को रोक दिया गया था। उस स्थिति में, यह तर्क दिया जा सकता है कि कुछ कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति छंटनी के बराबर होगी क्योंकि वे अधिशेष हो जाएगा। लेकिन यहां ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसा होने के कारण, उनकी सेवाओं की समाप्ति कानूनी और वैध थी और इसमें कोई गलती नहीं पाई जा सकती है अनुचित पुरस्कार।

(पैरा 6)

भारत का संविधान, 1950-**अनुच्छेद** 226/227-**औद्योगिक विवाद अधिनियम**, 1947-**सं.** 25-FFF-S.25-FFF **खेल में आता है जिसमें 'उपक्रम बंद हो जाता है-' उद्योग 'एक संपूर्ण है जिसमें' उपक्रम 'एक हिस्सा है, इसलिए, बाद वाला एक संकीर्ण अवधारणा है-उपक्रम का उद्देश्य पूरे व्यवसाय को कवर करना नहीं है नियोक्ता-'उपक्रम' शब्द की परिभाषा के अभाव में इसका उपयोग सामान्य अर्थ में किया जाना चाहिए जिसका अर्थ है कोई भी कार्य, उद्यम, परियोजना या व्यावसायिक उपक्रम-क्षतिपूर्ति का हक तदनुसार होगा।**

अभिनिर्धारित किया कि इस धारा में प्रयुक्त 'उपक्रम' शब्द को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। यह अभिव्यक्ति धारा *25*-एफएफ, *25*एफएफए, *25*एफएफएफ, *25*-ओ और *25*-एफ में होती है। धारा *25*-एफ 'उद्योग' शब्द का उपयोग करती है जबकि धारा *25*-जी 'औद्योगिक प्रतिष्ठान' शब्दों का उपयोग करती है। चूंकि ये दोनों खंड संज्ञानात्मक हैं, इसलिए धारा *25*-जी में उपयोग किए गए 'औद्योगिक प्रतिष्ठान' शब्दों का अर्थ 'उद्योग' के रूप में समझा जाना चाहिए जैसा कि धारा *25*-एफ में उपयोग किया गया है। 'उद्योग' को अधिनियम की धारा *(*जे*)* में परिभाषित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक उपक्रम भी शामिल है। इस प्रकार, 'उपक्रम' 'उद्योग' की तुलना में एक संकीर्ण अवधारणा है। दूसरे शब्दों में, 'उद्योग' एक संपूर्ण है जिसका एक 'उपक्रम' एक हिस्सा है। 'उद्योग' की परिभाषा में प्रयुक्त 'उपक्रम' पद को बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा, ए. आई. आर. *1978* एस. सी. *548* में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा एक सीमित अर्थ दिया गया था। इस प्रकार, धारा *25*-एफ. एफ. एफ. के संदर्भ में अभिव्यक्ति का अर्थ एक अलग और विशिष्ट व्यवसाय या वाणिज्यिक या व्यापारिक या औद्योगिक गतिविधि होना चाहिए। अनुभाग में प्रयुक्त 'उपक्रम' शब्द। *25*-एफ. एफ. एफ. का उपयोग अपने सामान्य अर्थ में किया गया है जिसका अर्थ है कोई भी कार्य, उद्यम, परियोजना

---

[1] *(6) 1994 (4)* एससी. सी. *18*

व्यवसाय उपक्रम। वेबस्टर्स न्यू ट्वेंटिएथ सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार, इस अभिव्यक्ति का अर्थ है 'कोई भी व्यवसाय, कार्य, परियोजना आदि। लिया गया '। इसका उद्देश्य नियोक्ता के पूरे उद्योग या व्यवसाय को शामिल करना नहीं है। नियोक्ता के व्यवसाय या गतिविधि के किसी हिस्से को बंद करना या बंद करना, कानूनी रूप से, इस धारा के अंतर्गत आएगा। 'आश्चर्यजनक', हालांकि, एक विनिर्माण प्रक्रिया के एक असीम रूप से छोटे हिस्से को समझ नहीं सकते हैं।यह प्रश्न कि क्या बंद किया गया है, एक उपक्रम है या इसका केवल एक बहुत छोटा हिस्सा है, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्णय लेना होगा और इस संबंध में कोई समान नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 5)

आर. के. मलिक, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता सूर्यकांत

फैसला

एन. के. सोधी, जे.

(1) याचिकाकर्ता को शुरू में 10 अगस्त, 1984 को कमल में रेड क्रॉस सोसाइटी के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में क्लर्क सह-टाइपिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 16 अप्रैल, 1987 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद, उन्होंने फिर से उसी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में क्लर्क-सह-टाइपिस्ट के रूप में नौकरी के लिए अनुरोध किया। उनके अनुरोध के अनुसार, उन्हें अस्थायी आधार पर लेखा के रूप में एक नई नियुक्ति दी गई 14 जून, 1988 को लिपिक-सह-टाइपिस्ट। उन्हें जारी नियुक्ति पत्र में उन्हें बताया गया कि उन्हें रेड क्रॉस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, कमल में परियोजना के लिए नियुक्त किया जा रहा है और उनकी सेवा में निरंतरता हरियाणा सरकार के समाज कल्याण विभाग से 90% अनुदान की प्राप्ति पर निर्भर है। यह अब हमारे सामने विवाद में नहीं है कि राज्य सरकार ने व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को अनुदान वापस ले लिया और इसलिए, केंद्र जुलाई, 1994 में इसे बंद करना पड़ा और याचिकाकर्ता सहित उसमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने उसकी बर्खास्तगी के संबंध में एक औद्योगिक विवाद उठाया और उसी के लिए भेजा गया पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, पानीपत को निर्णय। यह निर्देश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के उपखंड (ग) के तहत किया गया था, जैसा कि अद्यतन और इसके बाद अधिनियम कहा जाता है। The याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित मामला यह था कि उसकी सेवाओं की समाप्ति अधिनियम के अर्थ के भीतर 'छंटनी' के बराबर थी और चूंकि धारा 25-एफ के प्रावधानों का समाप्ति के साथ अनुपालन नहीं किया गया था, इसलिए यह अवैध था और इसे अलग किया जा सकता था। उन्होंने पूर्ण वेतन और सेवा की निरंतरता के साथ फिर से स्थापना का दावा किया।

(2) रेड क्रॉस सोसायटी ने कर्मचारी के दावे का विरोध किया और कहा कि उसकी सेवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के बंद होने के कारण समाप्त कर दिया गया था, जहां वह कार्यरत थी और इसलिए, के प्रावधान धारा 25-एफ को आकर्षित नहीं किया गया था और यह कि मामला धारा 25-एफएफएफ के प्रावधानों द्वारा शासित था। प्रबंधन के अनुसार, धारा 25-एफएफएफ के संदर्भ में याचिकाकर्ता को देय मुआवजे का भुगतान कर दिया गया था और

इसलिए, वह आगे किसी भी राहत की हकदार नहीं थी|

(3) पक्षों के नेतृत्व में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने पर, न्यायाधिकरण ने 1 जनवरी, 1997 के अपने निर्णय के अनुसार कहा कि याचिकाकर्ता को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में नियुक्त किया गया था jo ki बंद कर दिया गया था और चूंकि धारा 25-एफ. एफ. एफ. द्वारा आवश्यक मुआवजे का भुगतान किया गया था, इसलिए उसकी सेवाओं की समाप्ति पूरी तरह से वैध और कानून के अनुसार थी। नतीजतन, संदर्भ का जवाब कामगार के खिलाफ और प्रबंधन के पक्ष में दिया गया। यह इस फैसले के खिलाफ है कि वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है।

(4) हमने पक्षों के वकील को सुना है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा हमारे समक्ष यह पुरजोर आग्रह किया गया था कि की सेवाओं की समाप्ति याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 25-एफ. एफ. एफ. के अंतर्गत नहीं आता है और यह छंटनी के बराबर है। वास्तव में तर्क यह है कि जिला रेड क्रॉस सोसायटी जिले के भीतर अपनी गतिविधियों को जारी रख रही थी और केवल इसलिए कि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को बंद करने का मतलब यह नहीं था कि जिला रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा 'उपक्रम' को बंद कर दिया जाए ताकि धारा 25-एफ. एफ. एफ. के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके। यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति अधिनियम के अर्थ के भीतर 'छंटनी' थी और चूंकि धारा 25-एफ के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था, इसलिए यह अवैध था। उन्होंने मेसर्स एवन सर्विसेज प्रोडक्शन एजेंसियों में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया (P)लिमिटेड बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण, हरियाणा और अन्य (I).

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, हम इसमें कोई योग्यता नहीं पाते हैं। अधिनियम की धारा 25-एफ. एफ. एफ. किसी उपक्रम को बंद करने के मामले में कामगारों को दिए जाने वाले मुआवजे से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि जहां एक उपक्रम बंद है किसी भी कारण से, प्रत्येक कामगार जो ऐसे बंद होने से ठीक पहले उस उपक्रम में कम से कम एक वर्ष से निरंतर सेवा में है, प्रावधानों के अनुसार नोटिस और मुआवजे का हकदार है। धारा 25-एफ के अनुसार, जैसे कि कामगार को हटा दिया गया हो। इसका अवलोकन (धारा यह स्पष्ट करती है कि यह "जहां एक उपक्रम बंद हो जाता है.....। इस धारा में प्रयुक्त 'उपक्रम' शब्द को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। यह अभिव्यक्ति अनुभाग 25-एफएफ, 25-एफएफए, अनुभाग में होती है। 25-एफएफएफ, 25-0 और 25-आर। धारा 25-एफ 'उद्योग' शब्द का उपयोग करती है जबकि धारा 25-जी 'औद्योगिक प्रतिष्ठान' शब्दों का उपयोग करती है। चूँकि ये दोनों खंड संज्ञानात्मक हैं, धारा 25-जी में प्रयुक्त 'औद्योगिक प्रतिष्ठान' शब्दों का अर्थ 'उद्योग' के रूप में समझा जाना चाहिए जैसा कि धारा 25-एफ में प्रयुक्त किया गया है। 'उद्योग' को अधिनियम की धारा 2 (जे) में परिभाषित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक उपक्रम भी शामिल है। अतः 'उपक्रम' है 'उद्योग' की तुलना में एक संकीर्ण अवधारणा दूसरे शब्दों में, 'उद्योग' एक संपूर्ण है जिसका एक 'उपक्रम' एक हिस्सा है। 'उद्योग' की परिभाषा में प्रयुक्त 'उपक्रम' पद को बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा एक सीमित अर्थ दिया गया था।(2).-इस प्रकार, धारा 25-एफ. एफ. एफ. के संदर्भ में अभिव्यक्ति का अर्थ एक अलग और विशिष्ट व्यवसाय या वाणिज्यिक या व्यापारिक या औद्योगिक गतिविधि होना चाहिए। शब्द है। हमारी राय में,

धारा 25-एफ. एफ. एफ. में उपयोग किए गए 'उपक्रम' का उपयोग सामान्य अर्थों में किया गया है जिसका अर्थ है कोई भी कार्य, उद्यम, परियोजना या व्यावसायिक उपक्रम। वेबस्टर के न्यू ट्वेंटिएथ सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार, यह अभिव्यक्ति इसका अर्थ है "कोई भी व्यवसाय, कार्य, परियोजना आदि। लिया गया "। इसका उद्देश्य नियोक्ता के पूरे उद्योग या व्यवसाय को शामिल करना नहीं है। किसी भाग को बंद करना या बंद करना नियोक्ता का व्यवसाय या गतिविधि, विधि में, इस धारा के अंतर्गत आएगी। हालांकि, 'अंडरटेकिंग', एक के असीम रूप से छोटे हिस्से को नहीं समझ सकता है उत्पादन प्रक्रिया। यह सवाल कि क्या बंद किया गया एक उपक्रम है/या इसका केवल एक बहुत छोटा हिस्सा है, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर तय करना होगा और इस संबंध में कोई समान नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(6) तत्काल मामले में, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र जो राज्य सरकार से 90% सहायता प्राप्त कर रहा था, राज्य सरकार से अनुदान बंद होने के कारण बंद कर दिया गया था, यह पक्षों का सामान्य मामला है कि पूरे केंद्र को बंद कर दिया गया है और उसमें कार्यरत सभी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र अपने आप में जिला रेड क्रॉस सोसायटी का एक उपक्रम था और जब इसे बंद कर दिया गया याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। उसका मामला पूरी तरह से अधिनियम की धारा 25-एफ. एफ. एफ. के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। यह आवश्यक नहीं है कि धारा 25-एफ. एफ. एफ. के प्रावधानों को आकर्षित करने से पहले जिले में जिला रेड क्रॉस सोसायटी की पूरी गतिविधि समाप्त हो गई हो। यदि केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के एक हिस्से को ही रोक दिया गया होता तो याचिकाकर्ता के तर्क का कुछ महत्व होता। उस स्थिति में, यह तर्क दिया जा सकता है कि कुछ कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति छंटनी के बराबर होगी क्योंकि वे अधिशेष बन जाएंगे। लेकिन यहां ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसा होने के कारण, उनकी सेवाओं की समाप्ति कानूनी और वैध थी और विवादित पुरस्कार में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है। हालाँकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि हमारे अवलोकनों का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि किसी उपक्रम को चरणों में बंद नहीं किया जा सकता है।

(7) एवन सर्विसेज (सुप्रा) के मामले में तीनों कर्मचारी कंपनी द्वारा निर्मित किए जा रहे कंटेनरों को पेंट करने का काम कर रहे थे। कंपनी ने बाजार से कंटेनर खरीदने का फैसला किया और चित्रकार अधिशेष हो गए। उपक्रम जारी रहा और यह उस संदर्भ में था कि विद्वान न्यायाधीशों ने देखा कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि पेंटिंग कंटेनर एक था |अलग प्रतिष्ठान या कि इसकी कुछ अलग पर्यवेक्षी व्यवस्था थी। चित्रकारों के अधिशेष होने के कारण, उनकी सेवाओं की समाप्ति छंटनी के बराबर थी। हमारे सामने मामले में, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र पूरी तरह से बंद हो गया। इसलिए एवन सर्विसेज का मामला (उपर्युक्त) याचिकाकर्ता के लिए कोई मददगार नहीं है।

(8) इंस्टिट्यूट रिजल्ट में, रिथी रिट याचिका खारिज हो जाती है और लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

जे एस टी।